



पत्रांक: NCE/CHANDI/.....

दिनांक / / 2026

कार्यालय आदेश

दिनांक: 24.09.2025 को महाविद्यालय छात्रावास में छत से एक छात्रा के गिरने की घटना के उपरान्त छात्र एवं छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिसर (प्राचार्य कक्ष, प्राचार्य कार्यालय, छात्रावास कार्यालय व इलेक्ट्रिकल मशीन लैब, तीन कम्प्यूटर लैब, प्राचार्य आवास, एकेडमिक ब्लॉक क्षेत्र एवं परिसर में खड़ी कार) में तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना को रात्री में अंजाम दिया गया। इस घटना में रात्री के समय सरकारी सम्पत्ति को नुकसान किया गया। प्राचार्य द्वारा निर्गत स्थानीय पत्रांक: 981 दिनांक: 07.10.2025 के आलोक में महाविद्यालय के अनुशासन समिति के द्वारा उपलब्ध सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त अभी तक के जाँच के आधार पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक: 2634 दिनांक: 27.10.2011 के अनुपालन में अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित छात्र एवं छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है, जो इस प्रकार है:

1. श्रेणी I : निम्नलिखित छात्र एवं छात्राओं को छः माह के लिए महाविद्यालय से निलंबित किया जाता है।

S. No.	Name of Student	Roll No.	Clause No.	Branch
1.	Mukesh Kumar Mandal	23AE07	3 (XIV, XXVII)	AE
2.	Harsh Vardhan	23AE16	3 (XIV, XXI, XXVII)	AE
3.	Aditiya Raj Verma	23AE02	3 (XIV, XXXIV)	AE
4.	Sagar Kumar	23CS32	3 (XIV, XXXIV)	CSE

2. श्रेणी II : निम्नलिखित छात्र एवं छात्राओं को तीन माह के लिए महाविद्यालय से निलंबित किया जाता है।

S. No.	Name of Student	Roll No.	Clause No.	Branch
1.	Prince Kumar	24DME02	3 (XIV)	ME
2.	Utsav Raj	23CV41	3 (XIV)	CE

3. श्रेणी III : निम्नलिखित छात्र एवं छात्राओं को ₹40,000 (चालीस हजार रुपये) का आर्थिक दंड दिया जाता है।

S. No.	Name of Student	Roll No.	Clause No.	Branch
1.	Suman Saurabh	23CS37	3 (XXVIII)	CSE
2.	Shivam Prasad	23AI23	3 (XXVIII)	AI
3.	Anand Kumar	23ME44	3 (XVIII)	ME

4. श्रेणी IV : निम्नलिखित छात्र एवं छात्राओं को ₹30,000 (तीस हजार रुपये) का आर्थिक दंड दिया जाता है।

5.

S. No.	Name of Student	Roll No.	Clause No.	Branch
1.	Risha Raj	23EE05	3 (XXXV)	EEE
2.	Anshuli Gautam	23AE39	3 (XXXV)	AE
3.	Abhishek Kumar	23CV27	3 (XXXV)	CE

नोट:

- उपरोक्त सभी श्रेणी के छात्र एवं छात्राओं को एक Black Dot दिया जाता है।
- उपरोक्त सभी छात्र एवं छात्राओं को किसी भी वर्ष में सभी प्रकार की छात्रवृत्ति की अनुशंसा से वंचित किया जाता है।
- भविष्य में इन्हें महाविद्यालय में छात्रावास से वंचित किया जाता है।
- श्रेणी I एवं श्रेणी II के छात्र एवं छात्राओं को उक्त अवधि में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है। आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

5. उपरोक्त सभी आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जाए, एवं संबंधित छात्र एवं छात्राएँ छात्रावास को तीन दिनों के अन्दर खाली करना सुनिश्चित करें। उल्लंघन करने पर पुनः कठोर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही छात्र एवं छात्राओं को उनके संबंधित समिति से हटाया जाता है।

चेतावनी: भविष्य में दोबारा किसी भी घटना में सम्मिलित पाये जाने पर महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध दोषी छात्र एवं छात्राएँ, निदेशक, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्राचार्य,

नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय,
चण्डी (नालन्दा)।

दिनांक ०९/०१/२०२६

ज्ञापांक: NCE/CHANDI/.....५०.....

प्रतिलिपि:

1. सचिव, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर सचिव-सह-निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नालन्दा
4. पुलिस अधीक्षक, नालन्दा
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा
6. थाना प्रभारी, चण्डी
7. सभी संबंधित स्थानीय पदाधिकारी
8. मुख्य प्रतिपालक
9. सभी संबंधित छात्र एवं छात्राएँ
10. प्राचार्य कार्यालय
11. सभी नोटिस बोर्ड


09.1.2026
प्राचार्य,

नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय,
चण्डी (नालन्दा)।
ASWC